

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-2759-औस/2014-11(4)एफ०/86(वो०-111)

दिनांक 15 अगस्त, 2014

विषय:- लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने एवं प्रतिपूर्ति हेतु बीजक प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा का निर्धारण के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विषयगत कार्यालय ज्ञाप संख्या-4075-औस/2011-11(4) एफ०/ (वो०-111), दिनांक 22.12.2011 द्वारा उ०प्र० के अन्दर एवं प्रदेश के बाहर स्थित 45 निजी चिकित्सालयों को लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में उपचार करने हेतु मान्यता प्रदान की गयी थी। कारपोरेशन के आदेश संख्या-804-औस/पाकालि/2014 दिनांक 28.02.2014 द्वारा 03 निजी चिकित्सालयों की मान्यता समाप्त करने, आदेश संख्या-779-औस/पाकालि/2014 दिनांक 28.02.2014 एवं आदेश संख्या-2334-औस/2014 दि० 10.07.2014 द्वारा कारपोरेशन की मान्यता सूची से विलोपित किये जाने के फलस्वरूप लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में उपचार करने हेतु निम्नलिखित चिकित्सालयों को प्रदत्त मान्यता एतद्वारा समाप्त की जाती है:-

- 1- सहारा हॉस्पिटल, गोमतीनगर लखनऊ।
- 2- मेयो हॉस्पिटल सेन्टर प्रा०लि०, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3- फॉर्टिस हॉस्पिटल, नोयडा।
- 4- गंगाशील एडवान्सड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सी०-17, दीनदयालपुरम, बरेली।
- 5- प्रीति हॉस्पिटल, पन्नालाल रोड, इलाहाबाद।
- 6- पुष्पांजलि हॉस्पिटल, देहली गेट, लायर्स कालोनी (हरि पर्वत के सामने), आगरा।
- 7- टी०सी० आई सेन्टर, गोमतीनगर, पत्रकारपुरम, लखनऊ (एकल विशिष्टता)।
- 8- फोर्ड हॉस्पिटल (नोवा हॉस्पिटल), विकास खण्ड-1, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 9- लोकप्रिय हॉस्पिटल, निकट अम्बर सिनेमा, जी०टी० रोड, मोदीनगर।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4075-औस/2011-11(4)एफ०/86(वो०-111), दिनांक 22.12.2011 द्वारा उक्त चिकित्सा हेतु मान्यता प्राप्त शेष निजी चिकित्सालयों के अतिरिक्त कारपोरेशन के कार्मिकों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित निजी चिकित्सालयों को लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में उपचार करने हेतु मान्यता प्रदान की जाती है:-

- 1- एस०के०डी० हॉस्पिटल, 63ए, कृष्णानगर, लखनऊ।
- 2- अजन्ता हॉस्पिटल एवं आई०वी०एफ० सेन्टर प्रा०लि०, 765-ए०बी०सी० काम्पलेक्स, आलमबाग, कानपुर रोड, लखनऊ।
- 3- ओ०पी० चौधरी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, रायबरेली रोड, लखनऊ।
- 4- एस०सी० त्रिवेदी मैमोरियल मदर एण्ड चाइल्ड ट्रस्ट हॉस्पिटल, ए-1/7, सेक्टर-एच, निकट केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- 5- धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल, गांधीनगर, पीलीभीत रोड, बरेली।
- 6- आई०आई०एम०टी० हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, गणेशनगर, लायर्स कालोनी, बाई पास रोड, आगरा।
- 7- कुलवन्ती हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, काकादेव कानपुर।
- 8- मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, 47/जी-5, बाउंड्री रोड, लालकुर्ती, मेरठ।
- 9- प्राची हॉस्पिटल सी-105 शान्तीपुरम, फाफमऊ, इलाहाबाद।
- 10- बी०के० हार्ट इन्स्टीट्यूट प्राइवेट लि०, नेवादा, डी०एल०डब्लू रोड, वाराणसी।
- 11- गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय गोरखनाथ मन्दिर परिसर, गोरखपुर।
- 12- मेदान्ता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, सेक्टर-38, गुड़गांव, हरियाणा।

उक्त प्रकार की चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया, शर्तें व प्रतिबन्ध आदेश संख्या-4075-औस/2011-11(4) एफ0/(वो0-111), दिनांक 22.12.2011 के अनुसार यथावत रहेंगे। वाह्य रोगी के रूप में लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों, जिनका उपचार एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि तक किया जाना है का प्रमाण पत्र सम्बन्धित चिकित्सालय के अधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदान किया जायेगा। इसी के साथ यह प्रतिबन्ध भी लागू होगा कि कारपोरेशन के मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में वाह्य रोगी के रूप में लम्बी अवधि (एक वर्ष अथवा उससे अधिक) तक चलने वाली बीमारियों ने उपचार पर औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के बीजक चिकित्सक द्वारा लिखे गये प्रिसक्रिप्शन के दिनांक के अधिकतम 06 माह के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय/पेंशन इकाई में जमा करना अनिवार्य होगा। 06 माह के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने वाले बीजक कालबाधित होंगे एवं उनकी प्रतिपूर्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या:-2759-औस/2014 तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 5- निदेशक (ऑपरेशन)/निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) ट्रांसको, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 9- महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12- अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को आदेश की प्रति कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु प्रेषित।
- 13- सलाहाकार (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 14- प्रबन्धक, समस्त चिकित्सालय।
- 15- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 16- कट फाइल।

NA Mathur
(नवनीत माथुर)
कार्मिक अधिकारी